

प्रेषक,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

दिनांक : लखनऊ : 08 जनवरी, 2015

विषय- समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संचालित राजकीय बाल गृहों में स्थापित विशेषीकृत इकाईयों में कार्यरत नर्स एवं देखभाल कार्यकर्ता (फीजियोथेरेपिस्ट/विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षक) के प्रचलित मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संचालित राजकीय बाल गृहों में स्थापित विशेषीकृत इकाई के कार्मिकों के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के पत्र सं०-DOC-14-3/2012-13-CW-II दिनांक 03.03.2014 से वृद्धि की गयी है।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा पत्र सं०-01/60-1-15-1/13(71)/06, दिनांक 05.01.2015 द्वारा समस्त घटकों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बाल गृहों में स्थापित 18 विशेषीकृत इकाईयों के नर्स का मानदेय रू० 5500/- से बढ़ाकर रू० 10000/- तथा देखभाल कार्यकर्ता (फीजियोथेरेपिस्ट/विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षक) का मानदेय रू० 3500/- से बढ़ाकर रू० 7500/- प्रतिमाह किए जाने पर सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-10-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के75%/रा25% के+रा) -16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान के नाम से डाला जाएगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- १९ (1)/60-1-14 व तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)

उपसचिव।